AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

लैंगिक समानता की दिशा में सरकारी प्रयासः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Authors
हनी सिंह
शोधार्थी
प्रो. (डॉ.) पूनम
शोध पर्यवेक्षक, समाजशास्त्र विभाग
स्वामी शुकदेवानंद कालेज
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
सम्बद्ध – महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड
विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में लैंगिक समानता की स्थापना हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का एक गहन समाजशास्त्रीय और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है क्योकिं लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकार को मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से लिंग (जेंडर) केवल एक जैविक भिन्नता नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा निर्मित एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जिसे पितृसत्तात्मक संरचनाओं द्वारा संचालित और संरक्षित किया जाता है। सदियों से चली आ रही पितृसत्ता ने समाज में शक्ति, संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण किया हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य और सरकार का हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। राज्य और उसकी नीतियाँ इस संरचना को तोड़ने या बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र विलियम ऑगबर्न के ''सांस्कृतिक विलम्बना'' और किम्बर्ले क्रेंशॉ के ''अंतर्संबंधता'' जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को उपयोग करते हुए यह स्पष्ट करता है कि क्यों प्रगतिशील कानूनों के बावजूद सामाजिक धरातल पर लैंगिक समानता एक अपूर्ण परियोजना बनी हुई है। वर्तमान में शिक्षा के विकास के कारण महिलाओं की लैंगिक असमानता वाली परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा हैं, क्योंकि 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जिससे उनमें जागरूकता आई है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कदम उठायें गये हैं। उनको हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है और महिलाओं के लिए अनेक कानून पारित किये गये हैं।

मुख्य शब्द

लैंगिक असमानता, पितृसत्ता, सामाजिक व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, जैंडर, नीतिगत हस्तक्षेप.

प्रस्तावना

मानव समाज के विकास क्रम में असमानता विविध रूपों में विद्यमान रही हैं जिनमें लैंगिक असमानता सबसे प्राचीन ऐसी विषमता है, जो व्यापक और संस्थागत रूप से जड़े जमा चुकी है। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन डी बोवॉयर (Simone de Beauvior) का यह प्रसिद्ध कथन है कि ''स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है'', इस बात को रेखांकित करता है कि ''लिंग (Sex)'' प्राकृतिक है, जबकि ''जेंडर (Gender)'' समाज द्वारा गढ़ा गया एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आवरण है।[1]

भारत जैसे विकासशील और बहुलवादी समाज में, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और परंपराएं आपस में गहराई से गुंथी हुई हैं, महिलाओं की स्थिति को केवल कानूनी चश्में से नहीं देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज एक कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन रहा है, जहाँ सत्ता, संसाधन और निर्णय लेने के अधिकार पुरूषों के पास केंद्रित रहे हैं। इस असमानता को पाटने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय सरकार ने एक ''कल्याणकारी राज्य (Welfare State)'' के निर्माण में भूमिका अपनाते हुए विभिन्न प्रयास किए हैं।

लैंगिक समानता

लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि पुरूष और महिलाएँ शारीरिक या जैविक रूप से एक समान हो जाएँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उनके अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर इस बात पर निर्भर नहीं होने चाहिए कि उन्होंने किस रूप (पुरूष, महिला या अन्य) में जन्म लिया है।

''लैंगिक समानता वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों को, उनके जेंडर की परवाह किए बिना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधनों, अवसरों और पुरस्कारों तक समान पहुँच प्राप्त होती है, और उन्हें समाज में समान मूल्य और सम्मान दिया जाता है।''[2]

सरलीकृत रूप से लैंगिक समानता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है, जहाँ महिलाओं, पुरूषों और अन्य जेंडर के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और सभी को अपनी क्षमता का विकास करने, निर्णय लेने और जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी करने की समान स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

विस्तृत रूप से लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र मानवीय विकास का एक बुनियादी सिद्धांत है। इसके प्रमुख आयामों में अवसरों की समानता, संसाधनों पर समान अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, श्रम का समान मूल्यांकन, सुरक्षा और गरिमा और रूढ़िवादी धारणाओं की समाप्ति शामिल है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और राजनीतिक भागीदारी में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलना। एक बालिका को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने या करियर चुनने का वही अधिकार होना चाहिए जो एक बालक को मिलता है। पैतृक संपत्ति, आय, और भूमि और अन्य आर्थिक संसाधनों पर समान कानूनी और व्यवहारिक अधिकार होना चाहिए। यह आर्थिक निर्भरता और इसके कारण होने वाले शोषण को समाप्त करता है। चाहें घर के भीतर का कोई पारिवारिक निर्णय हो, या संसद में बनने वाला कोई कानून, दोनों ही जगह महिलाओं और अन्य जेंडर की आवाज़ को पुरूषों के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। घर के भीतर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्य का भी समाज द्वारा उचित मूल्यांकन और सम्मान किया जाना चाहिए साथ ही, कार्यस्थल पर ''समान कार्य के लिए समान वेतन'' सुनिश्चित होना चाहिए। घर के अंदर या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की हिंसा (शारीरिक, मानसिक या प्रतीकात्मक) से मुक्ति और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। ''इस सोच को समाप्त करना चाहिए कि पुरूषों को भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए या महिलाएं केवल घर के लिए बनी हैं।'' लैंगिक समानता पुरूषों को भी पितृसत्तात्मक दबावों और कठोर जेंडर भूमिकाओं से मुक्त करती है।

भारत में लैंगिक समानता

भारत एक पुरूष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है। भारत में पुरूषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और लैंगिक समानता की अवधारणा को एक स्थिर या एकांगी रूप में नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरूषों की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता हैं। भारतीय समाज में बालिका का जन्म ही अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूँजी है बल्कि जन्म के समय पुत्री की मान्यता एक दायित्व और कर्ज के समान होती हैं। ''के. एम. पाणिक्कर ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्यायों में से एक हिंदू संयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली प्रस्थिति है।''[3] हिंदू सामाजिक व्यवस्था पुत्री को परिवार का भाग नहीं, एक ऐसा आभूषण मानकर चलती है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आयेगा और उसकी माँग करेगा तो उसे दे दिया जायेगा। बालक और बालिकाओं के खेल, पढ़ाई के विषय, और संस्कार भी अलग – अलग होते हैं।

वैदिक युग में बालिकायें भी बालकों की भांति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। बालिकाओं को धीरे – धीरे शिक्षा से दूर किया जाता रहा है। मुस्लिम काल में तो स्त्री की शिक्षा पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी थी। प्राचीन भारत में लैंगिक समानता एक रेखीय विकास नहीं था। जहाँ प्रारंभिक वैदिक काल महिलाओं की उच्च स्थिति और बौद्धिक स्वतंत्रता का गवाह रहा, वहीं

बाद के कालखंडों में राज्य के गठन, निजी संपत्ति के उदय और जाति व्यवस्था की जटिलताओं ने समाज को एक कठोर पितृसत्तात्मक ढ़ाँचे में कैद कर दिया, जिसके परिणाम भारतीय समाज आज भी भुगत रहा है।

भारत में बालिकाओं के प्रति लैंगिक असमानता किसी विशेष स्तर अथवा प्रकार की नहीं हैं। बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर परिवार में एवं परिवार के बाहर लैंगिक असमानताओं का सामना करना पड़ता हैं। जैसे कि व्यवहार में असमानता, शिक्षा में असमानता, रोजगार में असमानता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो बालिकाओं के प्रति होने वाली लैंगिक असमानता के सूचक है इसलिए भारतीय सरकार बालिकाओं औंर महिलाओं के प्रति हो रही लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए कई सरकारी योजनाओं औंर कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं जिससे बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकें और साथ ही उनका सशक्तिकरण हो सकें। भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को एक सतत विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारतीय राज्य का दृष्टिकोण ''कल्याणकारी (Welfare)'' से शुरू होकर ''सशक्तिकरण (Empowerment)'' और अब ''महिला–नेतृत्व वाले विकास (Women-Led Development)'' तक पहुँच गया है।

लैंगिक समानता की दिशा में किए गए प्रमुख सरकारी प्रयासों को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता हैः

1. वैधानिक और संस्थागत प्रयास (कानूनी अधिकार)

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने और महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने कई प्रगतिशील कानून बनाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण की नींव रखना है। जिसकी पूर्ति के लिए भारत में महिलाओं को संविधान द्वारा विशेष कानूनी अधिकार प्रदान किए गये है और उन्हें लागू करने के लिए कई संस्थागत प्रयास किए गये हैं।

- **समानता का मौलिक अधिकारः** संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के भाग–3 में दिए गए इन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करना हैं। ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14), धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) को सुनिश्चित करते हैं।[4]
- **संपत्ति का अधिकारः** हिंदू उत्तराधिकार (संसोधन) अधिनियम, 2005 ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है। यह अधिनियम भारत में महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून हैं। इसने मूल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए।[5]
- **सुरक्षात्मक कानूनः** ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' और ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, (POSHK Act) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा औंर उनके लिए भयमुक्त सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का एक क्रान्तिकारी कानून है। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की उनके घर के भीतर होने वाले शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से रक्षा करता है।[6] कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए POSHK Act बनाया गया।[7]

2. राजनीतिक सशक्तिकरण

राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के बिना वास्तविक समानता संभव नहीं है। इस दिशा में सरकार के प्रयास ऐतिहासिक रहे हैं।

- **पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षणः** 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33ः प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए। यह आरक्षण एस.सी., एस.टी. और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को भी मिलता है। कई राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि) ने अपने पंचायती राज अधिनियमों में 50ः प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इससे लाखों महिलाएं जमीनी स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं। आरक्षण में भेदभाव या एकाधिकार को रोकने के लिए, आरक्षित सीटों का आवंटन हर चुनाव में चक्रीय आधार पर बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर इस बार कोई सीट किसी विशेष वर्ग (जैसे महिलाओं या ए.सी.) के लिए आरक्षित है, तो अगली बार वह सामान्य (अनारक्षित) हो सकती है।[8]

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियमः** यह एक युगांतकारी कदम है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यह नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023), भारतीय संविधान का 106वां संशोधन है। इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हैं। यह अधिनियम भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर है।[9]

3. आर्थिक स्वावलंबन और वित्तीय समावेशन

आर्थिक स्वतंत्रता को महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। आर्थिक स्वावलंबन और वित्तीय समावेशन महिला सशक्तिकरण की रीढ़ हैं। जब महिलाओं की अपनी आय होती है और वे औपचारिक बैंकिंग सेवाओं (जैसे बचत खाते, ऋण और बीमा) तक सीधे पहुँच रखती हैं, तो वे परिवार और समाज में निर्णय लेने की मजबूत स्थिति में आ जाती हैं।

- **मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियमः** कामकाजी महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, ताकि मातृत्व के कारण उनका करियर प्रभावित न हो। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017 मूल ''मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 1961'' का एक प्रगतिशील विस्तार हैं। यह कानून कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य को बढ़ाने का समर्थन करता हैं।[10]
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड – अप इण्डियाः** इस प्रकार की योजनाओं के तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड – अप इण्डिया दोनों ही भारत सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रमुख ऋण योजनाएं हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 68 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्टैंड – अप इण्डिया की शुरूआत विशेष रूप से नए उद्यम स्थापित करने के लिए की गई थी।[11–12]
- **लखपति दीदी योजनाः** लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक प्रमुख महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत स्वंय सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।[13]
- **प्रधानमंत्री आवास योजनाः** प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना हैं। इस योजना के तहत दिए जाने वाले अधिकांश घरों का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, जिससे परिवार में उनका निर्णय लेने का अधिकार बढ़ा है।[14]

4. शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण

शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण महिला सशक्तिकरण के तीन सबसे प्रमुख और अंतर्संबंधित स्तंभ हैं। शिक्षा महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। स्वास्थ्य और पोषण उनके जीवन की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इनके बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना अधूरी है, क्योंकि एक शिक्षित, स्वास्थ्य और सुपोषित महिला ही परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में समान रूप से योगदान दे सकती है। सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजनाः** कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल लिंगानुपात में सुधार लाने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह एक राष्ट्रव्यापी जन – अभियान है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जिसे 2015 को पानीपत, हरियाणा में बढ़ते लैंगिक असंतुलन और महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य बालिका संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देना और रूढ़िवादी सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है।[15]
- **सुकन्या समृद्धि योजनाः** भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और वित्तीय सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक लोकप्रिय बचत योजना है। यह बालिकाओं के भविष्य (शिक्षा और विवाह) को सुरक्षित करने के लिए उच्च ब्याज

दर वाली एक छोटी बचत योजना है। इस योजना में निवेश करने पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और टैक्स छूट का लाभ मिलता है।[16]

- **पोषण अभियान और जननी सुरक्षा योजना**: पोषण अभियान और जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए शुरू की गई प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये दोनों योजनाएं मुख्य रूप से कुपोषण को कम करने, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने और संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में डिलीवरी) को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजनाएं काफी हद तक प्रभावी रही है।[17–18]

सरकारी प्रयासों के समाजशास्त्रीय प्रभाव

उपर्युक्त सभी सरकारी योजनाओं और वैधानिक हस्तक्षेपों का संयुक्त समाजशास्त्रीय प्रभाव यह रहा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हाशिए पर खड़ी एक ''आश्रित'' इकाई से बदलकर एक सशक्त ''निर्णायक'' की हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक नेतृत्व के सम्मिलित प्रभाव ने सदियों पुरानी कठोर पितृसत्तात्मक संरचनाओं की नींव को कमजोर किया है। इन बहुआयामी पहलों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी के ''निजी क्षेत्र'' से निकालकर सत्ता, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में स्थापित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वे अब केवल राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों की लाभार्थी न रहकर राष्ट्र – निर्माण और सामाजिक बदलाव की समान भागीदार बन गई हैं, यद्यपि इन संस्थागत और नीतिगत सुधारों को पूर्णतः फलीभूत होने के लिए समाज की पारंपरिक मानसिकता और सांस्कृतिक मुल्यों में भी उसी अनुपात में वैचारिक परिवर्तन होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते है कि भारत में लैंगिक असमानता अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण किया जाता है, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या उसकी इच्छाओं का हो। ऐसी स्थिति में महिलाओं को उनका हक दिलाने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कुछ सुझावों का प्रावधान किया गया हैं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा कई महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के सहित अनेकों कानून पारित किये गये हैं। अब महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है। आज नीतियाँ केवल महिलाओं के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके नेतृत्व को बढ़ावा दे रही हैं परंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति में आंशिक ही सुधार हो पाया है। इसके लिए कुछ हद तक भारतीय समाज भी जिम्मेदार है इसलिए इन नीतियों की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज की मानसिकता और सांस्कृतिक मूल्य भी उसी गति से बदलें, ताकि सरकारी प्रयासों का लाभ हर वर्ग और हाशिए पर खड़ी अंतिम महिला तक पहुँच सके।

संदर्भ सूची

1. बोवॉयर, सिमोन डी (1949) *द सेकंड सेक्स,* एडिशन गैलिमार्ड, फ्रांस।
2. संयुक्त राष्ट्र महिला (2001) *लैंगिक मुख्यधारा (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग) की अवधारणाएँ और परिभाषाएँ,* संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, न्यूयॉर्क (यूएसए)।
3. पाणिक्कर, के. एम. (1961) *हिन्दू सोशायटी एट क्रॉस रोड्स.* (तीसरा संस्करण) एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे।
4. विधि और न्याय मंत्रालय, (1950) भारत का संविधान (अनुच्छेद 14, 15, और 16) भारत सरकार, (भाग–3, मूल अधिकार, 1950) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।
5. विधि और न्याय मंत्रालय, (2005) हिंदू उत्तराधिकार (संसोधन) अधिनियम, भारत सरकार, (अधिनियम संख्या–39, 2005) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (2005) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार, (अधिनियम संख्या–43, 2005) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (2013) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, भारत सरकार, (अधिनियम संख्या–14, 2013) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।

8. विधि और न्याय मंत्रालय, (1993) पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, भारत सरकार, (73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।
9. विधि और न्याय मंत्रालय, (2023) नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारत सरकार, (106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) भारत का राजपत्र, नई दिल्ली।
10. श्रम और रोजगार मंत्रालय, (2017) मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, भारत सरकार, (अधिनियम संख्या–06, 2017) भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. वित्त मंत्रालय, (2015) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. वित्त मंत्रालय, (2016) स्टैंड – अप इण्डिया (2016) भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय, (2023) लखपति दीदी योजना (2023) भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, (2016) प्रधानमंत्री आवास योजना (2016) भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (2015) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015) भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. राष्ट्रीय बचत संस्थान, (2015) सुकन्या समृद्धि योजना (2015) भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (2018) पोषण अभियान (2018) भारत सरकार, नई दिल्ली।
18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (2005) जननी सुरक्षा योजना (2005) भारत सरकार, नई दिल्ली।

––==00==––